न्यायालय उपखंड अधिकारी निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ(राज.)

पीठासीन अधिकारी :–विकास पंचोली (R.A.S.)

प्रकरण संख्या 173/2023
जीसीएमएस न0 2023/543

1. नन्दु बाई पत्नी गुलजारीलाल जी जाति मीणा निवासी निम्बाहेड़ा तहसील निम्बाहेड़ा।

—— प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज०

—— विपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :– 1– श्री जगदीश मेनारिया – अधिवक्ता प्रार्थी
2– पेरोकार सरकार – स्वयं उपस्थित

:: निर्णय ::

दिनांकः– 30.08.2024

1. प्रकरण में संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956 का पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीया की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजीयात वाके मौजा फलवा पटवार हल्का फलवा तहसील निम्बाहेड़ा की खाता संख्या नया 86 की आ0नं0 1094 रकबा 0.1700 हेक्टेयर, आ०नं0 741 रकबा 0.0900 हेक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 0.2600 हेक्टेयर कुल लगानी 1.3000 रूपये वाके मोजा फलवा तह० निम्बाहेडा स्थित है।

2. प्रार्थीया की खातेदारी के राजस्व नक्शे में सेटलमेंट से पूर्व में साबिक राजस्व नक्शे में सही अंकीत थी, परन्तु नवीन सेटलमेन्ट में प्रार्थीया की उक्त आराजीयात को राजस्व कर्मचारीयो की त्रुटी के कारण राजस्व नक्शे में साबिक राजस्व नक्शे अनुसार दर्ज नही कर गलत जगह दर्ज कर दी गई है। जिस कारण प्रार्थीया को काफी परेशानीया आ रहे है, तथा भविष्य में भी आराजी नम्बर के गलत स्थान पर दर्ज हो जाने के कारण व्यर्थ कीमुकदमें बाजी बढेगी। इसलिये प्रार्थीया राजस्व नक्शे में पूर्व साबिक राजस्व नक्शे अनुसार नवीन राजस्व नक्शे में अपनी खातेदारी की आराजी को पूर्व साबिक राजस्व अनुसार पूर्व में जिस स्थान पर दर्ज थी उसी स्थान पर नक्शे में इन्द्राज दुरूस्ती कर तरमीम कराना चाहती हूं।

3. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर्ड किया गया, विपक्षी तहसीलदार निम्बाहेडा द्वारा जवाब एवं अनुशंषा कर निवेदन किया कि प्रार्थीया उपरोक्त कोई शुद्धिकरण तरमीम संबंधी कार्यवाही नहीं चाहती है जो अभी वर्तमान में रिकॉर्ड की स्थिति है जिससे सहमत है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2024.10.10 15:57:58 IST
Reason: SelfAttested

4. दोनों पक्षों के अभिवचनों के आधार पर बहस सुनी गई । पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों एवं तहसीलदार निम्बाहेड़ा से प्राप्त जांच रिपोर्ट एवं संशोधन प्रस्ताव का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया एवं प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया।

Scanned by CamScanner

5. उपर्युक्त तथ्यों के विश्लेषण से पूर्व सर्वप्रथम राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–136 का उद्धरण प्रासंगिक है। जो कि इस प्रकार है:–

> *136. Correction of errors. - The Land Record Officer may, at any time, correct or cause to be corrected in the prescribed manner any clerical errors and any errors which the parties interested admit to have been made in the record of rights or register, or which a Revenue Officer may notice during the course of his inspection in any Register:*
>
> *Provided that when any error is noticed by a Revenue Officer in any record of rights during the course of his inspection, no error shall be corrected unless a notice to show cause has been given to the parties*

6. इस प्रकार राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–136 के अवलोकन से स्पष्ट है कि राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–136 के तहत प्रार्थना–पत्र अथवा स्वप्रेरणा से राजस्व रिकॉर्ड में हुई त्रुटियों को संक्षिप्त विचारण कर दुरूस्त किये जाने के प्रावधान बनाए गए हैं। प्रकरण में प्रार्थी द्वारा जमाबंदी में खातेदारी संबंधी इन्द्राज के प्रारूप तथा अप्रासंगिक राजस्व इन्द्राज को कलमजन करने का अनुतोष बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। उक्त प्रकार का अनुतोष प्रथम दृष्टया राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–136 के तहत आवश्यक होने पर दुरूस्त किया जा सकता है।

5. प्रार्थना पत्र में वर्णित आधारों एवं दस्तावेजों के आधार पर एवं तहसीलदार निम्बाहेड़ा की जांच रिपोर्ट का संक्षिप्त सार यह है कि प्रार्थीया की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजीयात वाके मौजा फलवा पटवार हल्का फलवा तहसील निम्बाहेड़ा की खाता संख्या नया 86 की आ0नं0 1094 रकबा 0.1700 हेक्टेयर, आ०नं0 741 रकबा 0.0900 हेक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 0.2600 हेक्टेयर कुल लगानी 1.3000 रूपये वाके मोजा फलवा तह० निम्बाहेडा स्थित है। उक्त आराजियात में प्रार्थीया शुद्धिकरण तरमीम संबंधी कार्यवाही नहीं चाहती है जो अभी वर्तमान में नक्शा रिकॉर्ड की स्थिति है उससे सहमत है। इसलिए उक्त प्रकरण को निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

अत: प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956 का साबित नहीं होने से खारीज किया जाता है। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 30.08.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2024.10.10 15:57:58 IST
Reason: SelfAttested

(विकास पंचौली)
उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेडा

Scanned by CamScanner